अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता व गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हों तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित अपने मूल प्रबंधकीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करती हैं।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, राज्य प्रतिअनुपूरक वनरोपण जमा तथा खदान एवं खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि नामक ब्याज वहन करने वाले जमाओं/निधियों में राशियों पर ब्याज का भुगतान करना था। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए ₹ 0.06 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम बताया गया है।

4.2 बजट से बाहर उधार

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पैरा 10(3) के अनुसार, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूलधन चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे ऐसी देयता को राज्य के उधार के रूप में दर्शाना होगा।

हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) ने हरियाणा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) के दो ऋण लिए। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार की सहमति से गृह विभाग द्वारा ऋण गारंटी की संस्वीकृति जारी की गई थी। संस्वीकृतियों की शर्तों के अनुसार मूलधन और ब्याज की अदायगी ऋण करार के अनुसार की जाएगी। इन शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज के साथ ऋण करार में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में निधियों का वार्षिक आबंटन करेगी। तदनुसार, वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार, ये बजट से बाहर उधार की प्रकृति के थे।

गृह विभाग द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अनुसार ऋणों के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए जारी की गई राशि को हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उल्लंघन में बजट एवं लेखा में सहायता अनुदान के रूप में दर्शाया गया

था। हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण (₹ 845.35 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार की देयता को लेखों में हरियाणा सरकार के ऋण के रूप में नहीं दर्शाया गया था। 31 मार्च 2024 तक हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखों में हुडको की ओर ₹ 201.60 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। वित्त लेखों में ऋणों को नहीं दर्शाने के परिणामस्वरूप उधार की राशि को उस सीमा तक कम दर्शाया गया।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी निधियां सीधे तौर पर अंतरित कर रही है। जबकि भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया था तथापि, 2023-24 के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 15,373.59 करोड़ अंतरित किए जिसमें राज्य में मध्यस्थों/लाभार्थियों को अंतरण शामिल था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में विवरण दिया गया है।

4.4 स्थानीय निधियों की जमा राशि

पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत वसूल की गई या वसूली योग्य सभी धनराशि को मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि के अंतर्गत पंचायत निकाय निधि के रूप में रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निधि के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, संवितरणों और अंतिम शेष का विवरण ***तालिका 4.1*** में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंचायत निकायों की निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रारंभिक शेष	7.81	7.34	8.77	9.05	9.13
प्राप्ति	1.66	2.34	0.68	0.87	0.78
संवितरण	2.13	0.91	0.40	0.79	1.02
अंतिम शेष	7.34	8.77	9.05	9.13	8.89

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

पारदर्शिता से संबंधित मामले

4.5 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

पंजाब वित्तीय नियमावली के नियम 8.14, वॉल्यूम-1 (जैसा कि हरियाणा में लागू है)/वित्तीय नियम/वित्तीय संहिता, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अनुदानग्राही द्वारा अनुदान की स्वीकृति के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर उस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने इसे स्वीकृत किया था। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर यह जोखिम रहता है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई थी। उन मामलों में जिनमें व्यय के विशेष उद्देश्यों

के विनिर्देश के रूप में अनुदान के उपयोग की शर्तें जुड़ी हुई हैं या वह समय जिसके भीतर धन को खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल तैयार किया गया था, को महालेखाकार को अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है और लेखों में उस सीमा तक दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति और बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण ***तालिका 4.2*** *और* ***तालिका 4.3*** में दिया गया है।

तालिका 4.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष[1]	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2019-20 तक	1,732	8,469.49	7,892	8,914.81	7,620	6,786.72	2,004	10,597.58
2020-21	2,004	10,597.58	730	6,425.48	292	2,472.28	2,442	14,550.78
2021-22	2,442	14,550.78	654	5,333.74	265	1,583.19	2,831	18,301.02
2022-23	2,831	18,301.02	695	6,800.26	866	7,124.63	2,660	17,976.65
2023-24	2,660	17,976.65	603	6,319.29	1,226	7,276.44	2,037	17,019.50

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित।

₹ 17,976.65 करोड़ की राशि के 2,660 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (31 मार्च 2023 तक) में से पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 7,276.44 करोड़ के 1,226 उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष 2023-24 के दौरान निपटान कर दिया गया था। 31 मार्च 2024 तक ₹ 17,019.50 करोड़ के 2,037 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण

अनुदानों के संवितरण का वर्ष	31 मार्च 2023 को प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10	1	10.85
2010-11	7	33.08
2011-12	41	137.00
2012-13	48	241.74
2013-14	78	562.58
2014-15	58	199.44
2015-16	126	281.31
2016-17	180	595.99
2017-18	160	783.81
2018-19	281	2,019.47
2019-20	354	3,052.85
2020-21	90	671.51
2021-22	264	4,325.17
2022-23	349	4,104.70
कुल	**2,037**	**17,019.50**

[1] 2022-23 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2023-24 के दौरान ही देय हैं।

कुल 2,037 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 12,914.80 करोड़ के अनुदान के 1,688 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2009-10 से 2021-22 की अवधि से संबंधित हैं। ₹ 17,019.50 करोड़ की कुल राशि में से, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे, 87.53 प्रतिशत चार विभागों अर्थात ग्रामीण विकास विभागः ₹ 5,551.38 करोड़ (32.62 प्रतिशत), शहरी विकास विभागः ₹ 5,320.07 करोड़ (31.26 प्रतिशत), स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा: ₹ 2,470.12 करोड़ (14.51 प्रतिशत) एवं सामान्य शिक्षा विभागः ₹ 1,555.41 करोड़ (9.14 प्रतिशत) से संबंधित हैं जैसा कि ***परिशिष्ट 4.2*** में दर्शाया गया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है और मामले में तेजी लाने के लिए संबंधित विभाग को पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

4.6 सार आकस्मिक बिल

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब वे अपेक्षित राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को सेवा शीर्षों से धन डेबिट करके सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों के बिना आहरण की अनुमति होती है और व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को एक माह के भीतर राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रस्तुत करने तक इन राशियों को आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। विस्तृत आकस्मिक बिलों का विलंब से प्रस्तुत करना या लंबी अवधि तक प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि निधियां तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना निकाली गई थी और इससे लेखों की पूर्णता और सत्यता प्रभावित हो सकती है।

31 मार्च 2024 तक असमायोजित सार आकस्मिक बिलों का विवरण ***तालिका 4.4*** में दिया गया है।

तालिका 4.4: 31 मार्च 2024 तक असमायोजित सार आकस्मिक बिलों का विवरण

वर्ष	असमायोजित सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	322	133.33
2023-24	533	236.34
कुल	**855**	**369.67**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा से प्राप्त सूचना

4.7 लघु शीर्ष-800 का अविवेकी उपयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित होती है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,245.48 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय

(₹ 1,29,116.64 करोड़) का 2.51 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान ₹ 9,488.99 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 1,18,071.16 करोड़) का 8.04 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, ₹ 3,267.03 करोड़ की प्राप्तियां, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,01,314.84 करोड़) का 3.22 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जबकि पिछले वर्ष ₹ 3,811.78 करोड़ की प्राप्तियां वर्गीकृत की गई थी, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 89,194.69 करोड़) का 4.27 प्रतिशत है, जो उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।

ऐसे मामले, जहां व्यय का पर्याप्त अनुपात (50 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, ***तालिका 4.5*** में दिए गए हैं।

तालिका 4.5: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय का मुख्य शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1.	2075[2]	विविध सामान्य सेवाएं	0.88	0.51	57.95
2.	2700[3]	मुख्य सिंचाई	1,721.86	1,207.02	70.10
3.	2701	मध्यम सिंचाई	222.07	181.67	81.81
कुल			**1,944.81**	**1,389.20**	**71.43**

2019-24 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन ***चार्ट 4.1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन

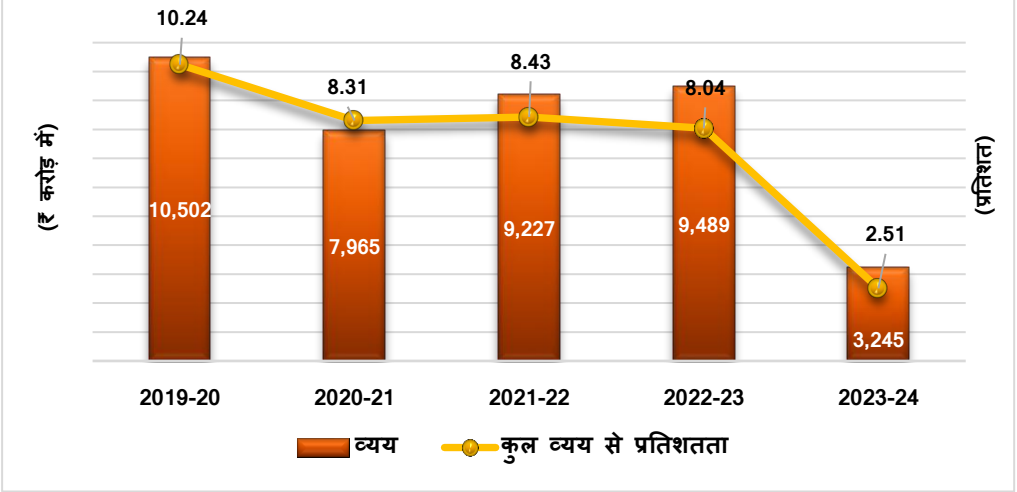

[2] मुख्य शीर्ष 2075 मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) से संबंधित है।

[3] मुख्य शीर्ष 2700 और 2701 पूंजी, ऊर्जा प्रभारों पर ब्याज से संबंधित है।

लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय 2019-20 में 10.24 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 8.31 प्रतिशत हो गया। हालांकि, 2021-22 के दौरान यह थोड़ा बढ़कर 8.43 प्रतिशत हो गया और 2022-23 में और घटकर 8.04 प्रतिशत हो गया। 2023-24 में इस मद में व्यय घटकर 2.51 प्रतिशत रह गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को संबंधित विभागों के साथ उठाया जाएगा।

माप से संबंधित मामले

4.8 उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को जोड़ते हुए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की गणना की जाती है। महत्वपूर्ण उचंत मदों को पिछले तीन वर्षों के सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में ***तालिका 4.6*** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: बकाया उचंत एवं प्रेषण शेषों के विवरण

(₹ करोड़ में)

(क) 8658- उचंत लेखे						
लघु शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	--	1.05	--	(-) 2.31	(-) 4.35	--
निवल	1.05 (क्रेडिट)		2.31 (डेबिट)		4.35 (क्रेडिट)	
102-उचंत लेखे (सिविल)	-	(-) 0.08	--	0.18	(-)0.10	0.01
निवल	0.08 (डेबिट)		0.18 (क्रेडिट)		0.11 (क्रेडिट)	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखा	36.09	18.14	15.64	10.20	16.27	15.58
निवल	17.95 (डेबिट)		5.44 (डेबिट)		0.69 (डेबिट)	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-) 0.39	5.55	0.35	(-) 27.33	30.60	(-)12.71
निवल	5.94 (क्रेडिट)		27.68 (डेबिट)		43.31 (डेबिट)	
110-रिजर्व बैंक उचंत - केंद्रीय लेखा कार्यालय	(-) 20.30	(-) 15.96	--	8.03	0.43	2.00
निवल	4.34 (क्रेडिट)		8.03 (क्रेडिट)		1.57 (क्रेडिट)	
112-स्रोत पर काटा गया कर उचंत	1,347.84	1,088.91	1,729.38	1,572.53	2,251.33	1,844.20
निवल	258.93 (डेबिट)		156.85 (डेबिट)		407.13 (डेबिट)	
(ख) 8782- एक ही लेखा कार्यालय में लेखे भेजने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन						
लघु शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102-लोक निर्माण प्रेषण	10,790.00	10,786.50	10,116.57	10,081.48	12,099.18	12,083.04
निवल	4 (डेबिट)		35.09 (डेबिट)		16.14 (डेबिट)	
103-वन प्रेषण	202.28	202.71	334.72	332.74	278.05	278.34
निवल	0.43 (क्रेडिट)		1.98 (डेबिट)		0.29 (क्रेडिट)	

स्रोत:वित्त लेखे

4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, उसे बजट अनुदानों के भीतर एवं अपने खातों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु.नि.अ.)/नियंत्रण अधिकारियों (नि.अ.) को अपने रिकार्ड में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों का प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान करना अपेक्षित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,01,274.31 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां (कुल राजस्व प्राप्तियों का 99.96 प्रतिशत) तथा ₹ 1,11,826.03 करोड़ का राजस्व व्यय (कुल राजस्व व्यय का 98.79 प्रतिशत) तथा ₹ 15,728.30 करोड़ का पूंजीगत व्यय (कुल पूंजीगत व्यय का 98.79 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

4.10 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {पीएजी (एएंडई)} के लेखों के अनुसार 2023-24 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 373.36 करोड़ (डेबिट) था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 81.90 करोड़ (क्रेडिट) सूचित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 तक ₹ 291.46 करोड़ (डेबिट) का असंगत अंतर था। यह मुख्य रूप से ट्रेजरी/भारतीय रिजर्व बैंक/एजेंसी बैंक और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बीच लंबित समाधान के कारण था।

4.11 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा शीर्ष पर शेष राशि ऋणात्मक शेष राशि दर्शाती है, डेबिट/(-) क्रेडिट शेष राशि देयता शीर्षों या शीर्षों को दर्शाती है जहां सामान्य रूप से क्रेडिट शेष राशि होनी चाहिए, और क्रेडिट/(-) डेबिट शेष राशि संपत्ति शीर्षों या शीर्षों को दर्शाती है जहां सामान्य रूप से डेबिट शेष राशि होनी चाहिए। लेखा शीर्ष में प्रतिकूल शेष राशि या तो गलत वर्गीकरण, निधियों की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त अंशदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरी में शेष राशि को आगे न ले जाने, प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण राज्यों/अधिक लेखा इकाइयों का निर्माण आदि के कारण उत्पन्न होती है। 2023-24 में, मुख्य शीर्ष 7610 - सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण, 800 - अन्य अग्रिम, 99 - राज्य सेवा अधिकारियों (अराजपत्रित) को गेहूं ऋण के अंतर्गत ₹ (-)13.50 करोड़ का प्रतिकूल शेष था।

प्रकटीकरण से संबंधित मामले

4.12 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने अब तक भारत सरकार के तीन लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2023-24 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना और उनमें कमियां ***तालिका 4.7*** में दी गई हैं।

तालिका 4.7: लेखांकन मानकों की अनुपालना

क्र. सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	अनुपालना/कमियां
1	**आई.जी.ए.एस. 1:** *सरकार द्वारा दी गई गारंटियां - प्रकटीकरण आवश्यकताएं*	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणियां 9 एवं 20)	प्रत्येक संस्थान के लिए विस्तृत जानकारी जैसाकि गारंटियों की संख्या प्रस्तुत की गई है। हालाँकि, स्वचालित डेबिट तंत्र और संरचित भुगतान व्यवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।
2	**आई.जी.ए.एस. 2:** *सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण*	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणी 10)	(i) ₹ 4,499.30 करोड़ के सहायता अनुदान को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित के रूप में दर्शाया गया था। (ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तुरूप में दिए गए सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई थी।
3	**आई.जी.ए.एस. 3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम*	अनुपालना नहीं की गई (वित्त लेखों की विवरणी 18)	31 मार्च 2024 को वित्त लेखों की विवरणी 7 और 18 में दर्शाए गए अंतिम शेष का राज्य सरकार द्वारा अभी तक समाधान नहीं किया गया था। ऋणी संस्थाओं के बकाया भुगतान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

स्रोत: भारतीय सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

4.13 लेखों के संकलन से संबंधित मामले

4.13.1 ऋणों एवं अग्रिमों का मिलान

हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न इकाइयों से ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्राप्त विवरण हरियाणा सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इन विवरणों के अभाव में न तो इन ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में कोई मिलान किया गया था और न ही व्यक्तिगत ऋणदाता इकाई, पुनर्भुगतान और ब्याज जैसे विवरणों के अभाव में यह संभव था। विवरण के अभाव में वसूली न होने के साथ-साथ लेखा बहियों में प्रतिपादन प्रभावित होने का जोखिम रहता है। वर्ष 2023-24 के दौरान ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान ₹ 301.15 करोड़ था। 31 मार्च 2024 तक ऋण एवं अग्रिम की शेष राशि ₹ 14,328.46 करोड़ थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने ऋण एवं अग्रिम के समाधान का आश्वासन दिया।

4.14 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि और न्याय के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 43 निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने और विधानसभा में उनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 4.3*** में दर्शाई गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 या उससे पहले के वर्षों से संबंधित 43 स्वायत्त निकायों में से 12 स्वायत्त निकायों के लेखे जून 2024 तक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखों को अंतिम रूप देने में देरी से वित्तीय अनियमितताओं का पता न चल पाने का जोखिम रहता है, इसलिए लेखों को समय पर अंतिम रूप देकर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने संबंधित स्वायत्त निकायों के साथ इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया।

4.15 लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब

सरकार/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान करें ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 [सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971] की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं की पहचान हो सके।

जुलाई 2024 तक 92 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 182 वार्षिक लेखे, जिनमें सरकार द्वारा ₹ 739.25 करोड़ का अनुदान दिया गया था, लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित थे। वार्षिक लेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन निकायों/ प्राधिकरणों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान लागू हैं या नहीं।

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों से प्रत्येक वर्ष के समापन तक लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए संस्थानों की पहचान की जा सके।

4.16 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियां निष्पादित करने वाले सरकारी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय प्रचालनों की कार्यप्रणाली के परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और कार्य को चलाने में दक्षता को दर्शाते हैं। लेखों का समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार के निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की संवीक्षा से बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता को

बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हों, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और दुरुपयोग के जोखिम होता है।

मार्च 2024 तक, ऐसे तीन[4] विभागों ने वर्ष 2009-10 और 2022-23 के मध्य की अवधि के लिए अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन विभागों में ₹ 13,878.08 करोड़[5] की सरकारी निधियां निवेशित की गई थीं। यद्यपि बकाया लेखों को तैयार करने के बारे में बार-बार पूर्ववर्ती राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था।

4.17 लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य सरकार के लेखे राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अतिरिक्त जिला खजानों, उप-खजानों, साइबर खजाना, लोक निर्माण मंडलों और वन मंडलों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक लेखों से संकलित किए जाते हैं।

2023-24 के दौरान, लेखे प्रदान करने वाली इकाइयों द्वारा विलंब के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा मासिक सिविल लेखों से किसी भी लेखे को बाहर नहीं किया गया था।

अन्य मामले

4.18 दुर्विनियोग, हानियां, चोरी, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा में लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या लापरवाही के माध्यम से सरकार को हुई हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितनी हानि उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, उत्तरदायी ठहराया जाएगा। आगे, पूर्वोक्त नियम 2.34 के अनुसार, दुरुपयोग एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए ₹ 69.95 लाख के सरकारी धन से संबंधित दुर्विनियोजन के 52 मामलों में जुलाई 2024 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विघटन ***तालिका 4.8*** में दिया गया है।

---

4 (i) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में 2009-10 से राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक योजना; (ii) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 2019-20 से अनाज आपूर्ति योजना और (iii) परिवहन विभाग में 2022-23 से हरियाणा रोडवेज।

5 (i) राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक योजना: ₹17.97 करोड़; (ii) अनाज आपूर्ति योजना: ₹ 12,238.73 करोड़ और (iii) हरियाणा रोडवेज: ₹ 1,621.38 करोड़।

तालिका 4.8: दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि के लंबित मामले

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सरकारी सामान के दुर्विनियोजन/ हानियों/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
				विभागीय जांच की प्रतीक्षा में या न्यायालयों में लंबित		विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई परंतु अंतिम रूप नहीं दिया गया		वसूली या बट्टे खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	विकास एवं पंचायत	1	6.50	0	0	1	6.50	0	0
2	शिक्षा	20	40.12	1	0.09	18	40.03	1	0
3	श्रम एवं रोजगार	2	0.28	0	0	2	0.28	0	0
4	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3	8.63	0	0	2	5.93	1	2.70
5	महिला एवं बाल विकास	3	10.52	1	10.52	2	0	0	0
6	सिंचाई	19	2.07	0	0	17	1.85	2	0.22
7	जन स्वास्थ्य	2	0.65	0	0	2	0.65	0	0
8	हरियाणा कौशल विकास एवं उद्योग प्रशिक्षण	1	1.18	0	0	1	1.18	0	0
9.	सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग	1	0	0	0	0	0	1	0
	कुल	52	69.95	2	10.61	45	56.42	5	2.92

लंबित मामलों तथा सरकारी सामान की चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या की आयु-वार रूपरेखा ***तालिका 4.9*** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 4.9: दुर्विनियोजन, हानियों, दुरुपयोग इत्यादि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की समय-वार रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0-5	8	13.75	चोरी के मामले	48	59.21
6-10	21	46.43			
11-15	2	1.01	सरकारी सामान का दुर्विनियोजन/हानि	4	10.74
16-20	3	6.59			
21-25	7	1.35			
26 एवं अधिक	11	0.82			
कुल	52	69.95	जून 2024 को कुल लंबित मामले	52	69.95

चोरी/दुर्विनियोजन के कारण हानियों के 52 मामलों में से ₹ 56.20 लाख के 44 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें से 18 मामले 20 वर्षों से भी अधिक पुराने थे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसंबर 2024) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

4.19 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वत: कार्रवाई आरंभ करनी थी। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी कृत कार्रवाई टिप्पणियां विधायी समितियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वर्ष 2021-22 के राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा चयनात्मक आधार पर चर्चा की गई है (जून 2023)।

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 13 नवंबर 2024 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

4.20 निष्कर्ष

₹ 17,019 करोड़ (2,037 यू.सी.) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी और सरकार द्वारा पूर्व अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी प्रकार ₹ 369.67 करोड़ (855 सार आकस्मिक बिल) के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे।

बारह स्वायत्त निकायों ने लंबी अवधि से अपने अंतिम लेखे प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

वार्षिक लेखों के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि जिन 92 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को ₹ 739.25 करोड़ का अनुदान दिया गया, क्या वे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं या नहीं।

आगे, चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामान की हानि तथा दुरुपयोग (कुल ₹ 69.95 करोड़) के 52 मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी।

4.21 सिफारिशें

1. सरकार, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे।
2. सरकार को नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों के समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

3. वित्त विभाग को स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

4. सरकार, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार करे।

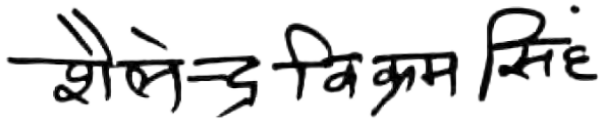

चंडीगढ़
दिनांक: 26 मार्च 2025

(शैलेन्द्र विक्रम सिंह)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

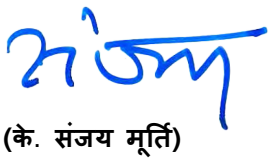

नई दिल्ली
दिनांक: 08 अप्रैल 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक